अध्याय - I
सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा संबंधित पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका - 1.1.
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,953.89	8,223.67	9,379.79	10,349.81	11,478.95
	• कर-भिन्न राजस्व	3,038.22	3,535.63	3,752.71	4,335.06	5,853.01
	कुल	**9,992.11**	**11,759.30**	**13,132.50**	**14,684.87**	**17,331.96**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	7,169.93	8,188.05	8,939.32	9,487.01	15,968.75[1]
	• सहायता अनुदान	5,257.41	4,822.20	4,064.97	7,392.68	7,337.64
	कुल	**12,427.34**	**13,010.25**	**13,004.29**	**16,879.69**	**23,306.39**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**22,419.45**	**24,769.55**	**26,136.79**	**31,564.56**	**40,638.35**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**45**	**47**	**50**	**47**	**43**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 17,331.96 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 43 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान शेष 57 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्ति में 28.75 की अच्छी-ख़ासी वृद्धि का कारण मुख्यतः विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में 68.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही कर-भिन्न राजस्व में 35 प्रतिशत की वृद्धि रही। राज्य सरकार द्वारा सृजित

[1] पूर्ण विवरण के लिये कृपया सरकार के वर्ष 2015-16 के सरकार के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-सम्पत्ति पर कर, 0044-सेवा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़ें जो वित्त लेखा में ए-कर राजस्व शीर्ष में दिखाये गये हैं: को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

राजस्व जिसमें कर राजस्व की दो तिहाई हिस्सा संघटित है उसी अवधि में मात्र 10.91 प्रतिशत ही बढ़ी।

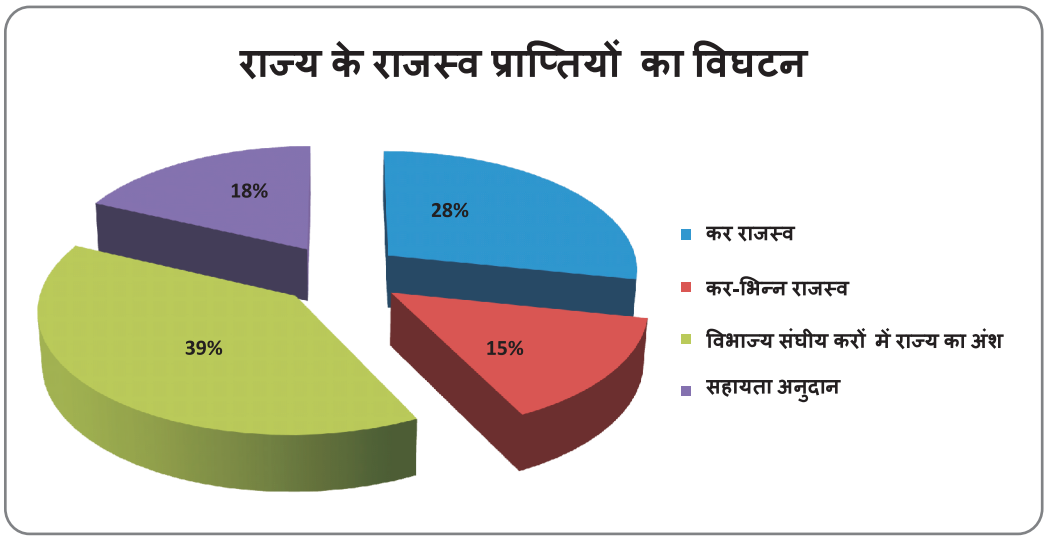

1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सृजित किये गये कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 की तुलना में 2015-16 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	5,633.25	6,650.00	7,874.50	9,267.95	11,180.02	(+) 20.63
		वास्तविक	5,522.02	6,421.61	7,305.08	8,069.72	8,998.95	(+) 11.52
2	राज्य उत्पाद	ब.अ.	445.00	650.00	700.00	1,931.84	1,200.00	(-) 37.88
		वास्तविक	457.08	577.92	627.93	740.16	912.47	(+) 23.28
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	ब.अ.	450.00	490.00	568.00	680.48	800.00	(+) 17.56
		वास्तविक	401.17	492.40	502.61	530.67	531.64	(+) 0.18
4	वाहनों पर कर	ब.अ.	356.00	550.00	639.40	836.33	900.76	(+) 7.70
		वास्तविक	391.92	465.36	494.79	660.37	632.59	(-) 4.21
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	100.00	142.00	161.00	193.82	200.00	(+) 3.19
		वास्तविक	72.76	110.72	145.79	175.40	125.68	(-) 28.35
6	भू-राजस्व	ब.अ.	83.49	82.00	95.00	300.14	300.00	(-) 0.05
		वास्तविक	52.94	96.38	229.84	83.54	164.35	(+) 96.73
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	ब.अ.	30.00	20.00	नियत नहीं	0.15	5.00	(+) 3,233.33
		वास्तविक	40.95	0.51	1.08	0.28	0.17	(-) 39.29

तालिका-1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 की तुलना में 2015-16 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	ब.अ.	36.75	28.00	34.50	41.91	35.00	(-) 16.49
		वास्तविक	15.05	15.28	22.76	32.57	30.22	(-) 7.22
9	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	कार्यान्वित नहीं किया गया	65.00[2]	80.00	61.38	80.00	(+) 30.34
		वास्तविक		43.49	49.91	57.11	82.88	(+) 45.12
कुल		**ब.अ.**	**7,134.49**	**8,677.00**	**10,152.40**	**13,314.00**	**14,700.78**	**(+) 10.42**
		वास्तविक	**6,953.89**	**8,223.67**	**9,379.79**	**10,349.81**	**11,478.95**	**(+) 10.91**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों में बदलाब (-)37.88 से 3,233.33 प्रतिशत के मध्य रही, जिसके विरुद्ध भू-राजस्व और माल एवं यात्रियों पर कर के संबंध में वास्तविकी में क्रमशः 96.73 प्रतिशत की वृद्धि एवं 39.29 प्रतिशत की कमी रही। तदन्तर, माल एवं यात्रियों पर अन्य कर के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर बिना विचार किये बजट अनुमानों में 3,233.33 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। संबंध विभागों ने बजट अनुमानों में उच्च विचरण का कारण अनुरोध के बावजूद सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2016)।

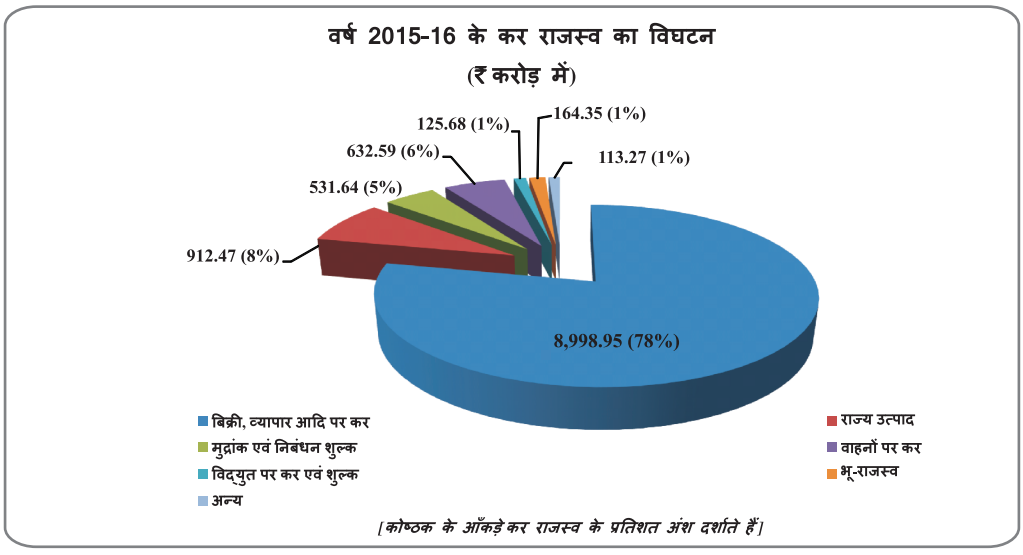

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों से संबंधित 2014-15 की तुलना में 2015-16 की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण निम्न थे:

[2] 29 जून 2012 से लागू।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 11.52 प्रतिशत की वृद्धि का कारण प्रभावकारी कर प्रशासन के साथ बकाये की पर्याप्त वसूली को बताया गया (अगस्त 2016)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 23.28 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भारत निर्मित विदेशी शराब के शुल्क के दर में वृद्धि का होना बताया गया (जुलाई 2016)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 96.73 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पुराने बकाए एवं पट्टेधारकों द्वारा भूमि के पूंजीकृत मूल्य का जमा होना बताया गया।

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के मध्य) राजस्व के अन्य शीर्षों में आधिक्य/कमी की वजहें संबंधित विभागों ने प्रस्तुत नहीं किया।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व के विस्तृत विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाये गये हैं:

तालिका-1.3
सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15की तुलना में 2015-16में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	2,759.75	3,209.92	3,500.00	4,699.47	5,500.00	(+) 17.40
		वास्तविक	2,662.79	3,142.47	3,230.22	3,472.99	4,384.43	(+) 26.24
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	4.17	4.80	5.25	4.18	10.39	(+) 148.56
		वास्तविक	3.71	4.22	5.17	3.66	4.13	(+) 12.84
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	100.64	65.00	115.00	243.36	90.00	(-) 63.02
		वास्तविक	44.16	72.23	69.48	143.04	122.44	(-) 14.40
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	33.00	19.00	20.00	3.62	10.00	(+) 176.24
		वास्तविक	15.42	20.48	5.24	4.16	3.73	(-) 10.34
5	अन्य	ब.अ.	711.10	542.37	703.40	742.39	693.64	(-) 6.57
		वास्तविक	312.14	296.23	442.60	711.21	1,338.28	(+) 88.17
कुल		**ब.अ.**	**3,608.66**	**3,841.09**	**4,343.65**	**5,693.02**	**6,304.13**	**(+) 10.73**
		वास्तविक	**3,038.22**	**3,535.63**	**3,752.71**	**4,335.06**	**5,853.01**	**(+) 35.02**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार बजट अनुमान

2014-15 एवं 2015-16 दोनों वर्षों में कुल प्राप्तियों में से कर-भिन्न राजस्व का अंश 14 प्रतिशत रहा। 2014-15 की अवधि में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई 2015-16 में कर-भिन्न राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 35.02 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग में संग्रहण में वृद्धि के कारण हुई (₹ 911 करोड़)।

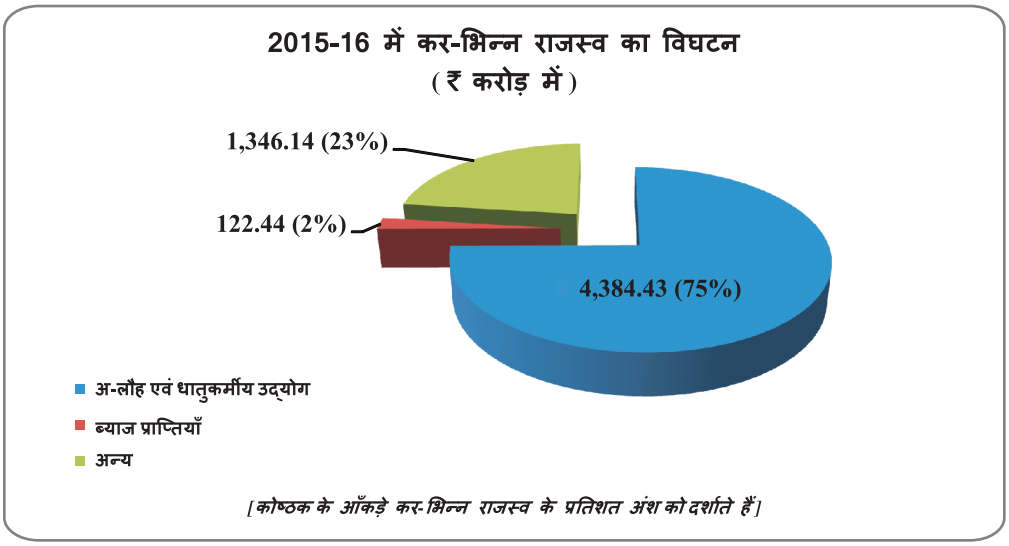

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के मध्य) राजस्व के अन्य शीर्षों में आधिक्य/कमी की वजहें संबंधित विभागों ने प्रस्तुत नहीं किया।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 3,237.28 करोड़ थीं, जिसमें ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका-1.4
राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,936.44	2,429.10	₹ 2,936.44 करोड़ में से ₹ 152.02 करोड़ के मांग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 701.29 करोड़ एवं ₹ 568.60 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 49.56 करोड़ एवं ₹ 16.41 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 1,448 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।

तालिका-1.4
राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
2.	वाहनों पर कर	270.27	169.05	₹ 270.27 करोड़ में से ₹ 145.93 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। शेष ₹ 124.34 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।
3	राज्य उत्पाद	30.57	10.84	₹ 30.57 करोड़ के बकाये में से ₹ 15.53 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 7.65 करोड़ एवं ₹ 6.90 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 10.56 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी एवं ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 7.06 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2016)।
कुल		**3,237.28**	**2,608.99**	

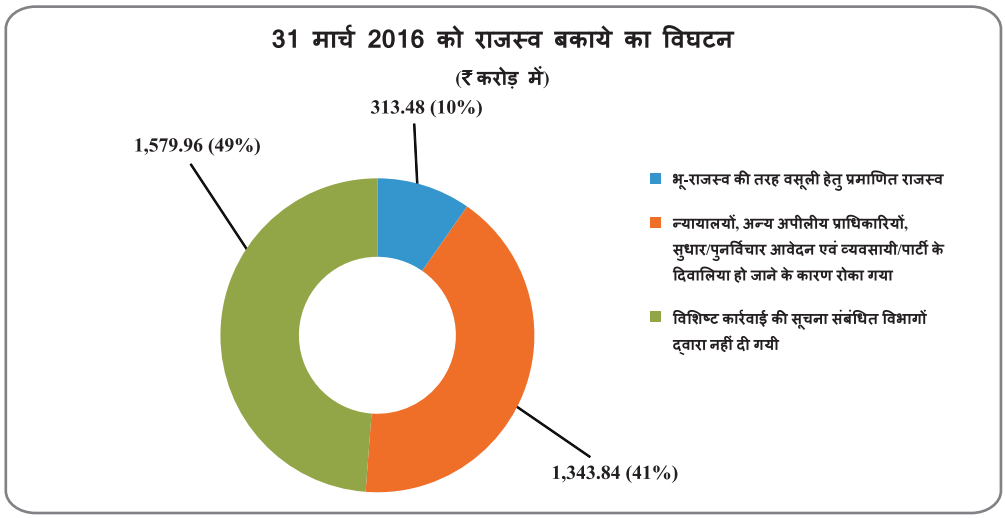

उपर्युक्त लंबित राजस्व ₹ 3,237.28 करोड़ में से ₹ 313.48 करोड़ की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,343.84 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, सरकार, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी

गयी, शेष ₹ 1,579.96 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

हमारे द्वारा सक्रिय अनुसरण (अप्रैल एवं अगस्त 2016 के बीच) के बावजूद 2015-16 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित राजस्व के बकाये की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी (अक्टूबर 2016)।

1.3 करनिर्धारण मे बकाये

मूल्यवर्द्धित कर, मनोरंजन कर, विद्युत शुल्क एवं कार्य संविदा बकायेदारों पर करों के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में करनिर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान करनिर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण, जैसा वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

करनिर्धारण में बकाये

वर्ष	प्रारंभिक शेष	करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले	कुल लंबित करनिर्धारण	निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 से 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	19,919	64,145	84,064	66,874	17,190	20.45
2011-12	17,190	63,515	80,705	50,473	30,232	37.46
2012-13	31,244	58,087	89,331	53,385	35,946	40.24
2013-14	33,505	63,903	97,408	63,519	33,889	34.79
2014-15	37,983	68,303	1,06,286	65,464	40,822	38.41
2015-16	39,652	72,761	1,12,413	64,999	47,414	42.18

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। कर निर्धारण में बकाये की भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। तदन्तर, 31 मार्च 2016 को 47,414 मामले कर निर्धारण के निष्पादन हेतु लंबित थे जो दर्शाता है कि 42.18 प्रतिशत मामले कर निर्धारण हेतु बकाये हैं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि मामले कालबाधित हो सकते हैं।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन

वाणिज्यकर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, के विस्तृत विवरण **तालिका-1.6** में दिये गये हैं।

तालिका-1.6

पता लगाये गये कर अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक लंबित मामले	2015-16 के दौरान पता लगाये गये मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें करनिर्धारण/जाँच पूर्ण हुई तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त सृजित माँग आदि		31 मार्च 2016 को निष्पादन हेतु लंबित मामलों की संख्या
				मामले की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18	49	67	64	9.11	3

विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 को प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न है (31 मार्च 2015 को 34 मामले)। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016) प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। कर निर्धारण का समापन एवं जाँच का निवल प्रभाव ₹ 9.11 करोड़ की माँग थी।

1.5 प्रतिदाय मामलों की लंबनता

वर्ष 2015-16 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

लंबित प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मू.व.क./विद्युत पर शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित दावे	581	5,998.14
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	17	911.57
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	34	518.61
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	564	6,391.10
5.	विलम्बित प्रतिदाय के कारण भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	शून्य

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े में वर्ष के आरंभ में लंबित मामले पिछले वर्ष के अंत में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे (505 मामले में सन्निहित ₹ 2,422.36 लाख की राशि), भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2016), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। झा.मू.व.क. अधिनियम प्रतिदाय के दावे का आवेदन नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक यदि आधिक्य राशि व्यवसायी को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे आदेश की तिथि से प्रतिदाय की वापसी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

बिक्री कर/मू.व.क. के प्रतिदाय मामलों के निष्पादन की प्रगति प्राप्त किये गये दावों की तुलना में अत्यंत धीमी थी और ब्याज के भुगतान के लिए संवेदनशील है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

हम संव्यवहारों की नमूना जाँच करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात जाँच के दौरान पाए गए एवं कार्यस्थल पर नहीं निपटाए गए अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जो अगले उच्चतर प्राधिकारियों के प्रतियों सहित निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर तत्परता से अनुपालन करना, चूक एवं त्रुटियों को सुधारना और प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रेषित करना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि 740 नि.प्र. से संबद्ध ₹ 8,075 करोड़ की 7,192 कंडिकाएँ जून 2016 के अंत तक लंबित थी, जैसा कि पिछले दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े सहित **तालिका-1.8** में नीचे उल्लिखित है।

तालिका-1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
लंबित नि.प्र. की संख्या	977	1,065	740
लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	8,127	8,677	7,192
सन्निहित राशि	12,704.36	13,276.85	8,074.99

1.6.1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों और सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका-1.9** वर्णित हैं।

तालिका-1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	184	3,871	5,397.33
		प्रवेश कर	5	5	9.50
		विद्युत शुल्क	12	53	58.67
		मनोरंजन कर आदि	1	2	0.12

तालिका-1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	119	638	604.09
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	45	463	26.52
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	137	866	264.80
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	107	545	31.58
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	130	749	1,682.38
कुल			**740**	**7,192**	**8,074.99**

वर्ष 2008-09 तक निर्गत 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हुए। संभाव्य वसूली योग्य राजस्व का परिमाण ₹ 8,075 करोड़, जैसा कि नि.प्र. में लाया गया है, राज्य के कुल राजस्व संग्रहण ₹ 17,331.96 करोड़ से आँका जा सकता है। तथापि, प्रधान सचिव/आयुक्त ने बहिर्गमन सम्मेलन एवं अन्य मुलाकातों में आश्वस्त किया कि नि.प्र. के द्वारा इंगित राजस्व की वसूली हेतु कारवाई. की जायेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार, अन्य मान दंडों में से नि.प्र./लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन के मानदंडों हेतु अधकरियों की प्रतिक्रिया के निर्धारण हेतु प्रणाली संस्थापित कर सकती है जैसा कि महाराष्ट्र में प्रक्रिया प्रचलित है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार नि.प्र.एवं नि.प्र. के कंडिकाओं के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे की प्रगति के लिए लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की हुई बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाओं के विवरण **तालिका-1.10** में वर्णित है।

तालिका-1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	50	919.02
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1	7	0
राज्य उत्पाद	1	35	137.98
वाहनों पर कर	2	2	11.89
भू-राजस्व	2	22	356.28

तालिका-1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	2	20.72
कुल	**10**	**118**	**1,445.89**

परिवहन विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों के निष्पादन की प्रगति नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों कि वृहत लंबनता की तुलना में नगण्य था।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर/कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभाग को, लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से सामान्यत: एक माह पूर्व सूचनाएं भेज दी जाती है जिससे कि वे संबंधित अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार रख सके।

वर्ष 2015-16 के दौरान, हमें लेखापरीक्षा हेतु तीन विभागों (परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभागों) के 17 कार्यालयों से संबंधित 103 अभिलेखें उपलब्ध नहीं करायी गयी। ऐसे मामलों का कार्यालयवार विघटन **तालिका-1.11** में दिया गया है।

तालिका-1.11
अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या
भू.सु.उ.स, धनबाद	2
अंचल कार्यालय, धनबाद	5
अंचल कार्यालय, तोपचाची	6
अंचल कार्यालय, टुंडी	6
अंचल कार्यालय, टुंडी पूर्व	6
अंचल कार्यालय, बलियापुर	6
अंचल कार्यालय, झरिया	6
अंचल कार्यालय, गोमिया	7
अंचल कार्यालय, बेरमों	7
अंचल कार्यालय, पेटरवार	8
अंचल कार्यालय, चन्द्रपुरा	9
अंचल कार्यालय, चास	9
अंचल कार्यालय, चंदनक्यारी	22
जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर	1
परिवहन आयुक्त, रांची	1
बंदोबस्त कार्यालय, धनबाद	1
खान सचिव,झारखंड,रांची,	1
कुल	**103**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) द्वारा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं छः सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर भेजने का आग्रह करते हुए, अग्रसारित किया जाता है। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति का तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसी कंडिकाओं के अंत में हमेशा दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 41 प्रारूप कंडिकाएँ (32 कंडिकाओं में से संकलित कर) मई एवं जुलाई 2016 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से भेजे गये थे। हमने विभागों से लेखापरीक्षा अवलोकनों के संबंध में बहिर्गमन सम्मेलन एवं मुलाकातों के दौरान उत्तर प्राप्त किया। तथापि, खान एवं भूतत्व विभाग से छः लेखापरीक्षा अवलोकनों के संबंध में उत्तर अनुस्मारक (जुलाई एवं अगस्त 2016 के बीच) निर्गत करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया। इन्हें विभाग के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्य प्रणाली ने निर्धारित किया कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात, विभाग लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं सरकार द्वारा उन पर कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 144 कंडिकायें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में से विभागों से 58 कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ संबंधित विभाग से औसतन तीन माह के विलंब से प्राप्त हुए एवं जिन 86 कंडिकाओं के संबंध में कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं **तालिका-1.12** में वर्णित हैं।

तालिका-1.12

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुति की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं
1	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	26	06
2	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	4	21
3	31 मार्च 2013	04.03.2014	27	10	17
4	31 मार्च 2014	26.03.2015	28	18	10
5	31 मार्च 2015	15.03.2016	32	0	32
कुल			**144**	**58**	**86**

2015-16 के दौरान लो.ले.स. ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 37 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा प्रतिवेदन (2009-10) में सम्मिलित खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका पर अपनी अनुशंसाएँ दी। तथापि, नवम्बर 2000 में राज्य बनने के समय से लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर इन विभागों से ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई है।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों पर विभागों/सरकार द्वारा दक्षता का विश्लेषण के लिये, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एक विभाग के कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 एवं 1.7.2 में **खान एवं भूतत्व विभाग** के अंतर्गत राजस्व शीर्ष **खनन प्राप्तियाँ** का स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रदर्शन एवं वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी की गई कार्रवाई की चर्चा की गयी।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

खान एवं भूतत्व विभाग के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत राजस्व शीर्ष खनन प्राप्तियाँ से संबंधित वर्ष वर्ष 2008-09 से 2015-16 की अवधि में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं की संक्षेपित स्थिति एवं 31 मार्च 2016 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका-1.13** में सारणीबद्ध है।

तालिका-1.13
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि
2008-09	0[3]	0	0.00	14	101	210	0	0	0	14	101	210.00
2009-10	14	101	210.00	11	77	126.64	0	0	0	25	178	336.64
2010-11	25	178	336.64	19	108	49.91	0	0	0	44	286	386.55
2011-12	44	286	386.55	18	149	2298.74	0	9	1.54	62	426	2,683.75
2012-13	62	426	2,683.75	21	176	68.78	0	17	1982.37	83	585	770.16
2013-14	83	585	770.16	18	107	128.79	1	65	14.02	100	627	884.93
2014-15	100	627	884.93	18	100	407.42	4	74	17.06	114	653	1,275.29
2015-16	114	653	1,275.29	17	108	753.17	1	12	346.08	130	749	1,682.38

[3] 2008-09 से पूर्व के नि॰ प्र॰ को अनुसरण हेतु सरकार पर छोड़ दिया गया है। .

2008-09 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4,043.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सहित 926 लेखापरीक्षा कंडिकाओं से अंतर्विष्ट 136 नि.प्र. निर्गत किया गया। इसी समय में ₹ 2,361.07 करोड़ मौद्रिक मूल्य की छः नि.प्र. में सन्निहित 177 लेखापरीक्षा कंडिकाओं का विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं नियमित पारस्परिक संपर्क के द्वारा निष्पादन किया गया। वर्तमान में ₹ 1,682.38 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 130 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 749 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें ₹ 355.28 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 40 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 207 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है (2008-09 से 2010-11 के बीच)।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और वसूल की गयी राशि से संबंधित कंडिकाओं की स्थिति **तालिका-1.14** में वर्णित है।

तालिका-1.14
स्वीकृत मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिका की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मान	स्वीकार किये गये कंडिका की संख्या	स्वीकार किये गये कंडिकाओं का मौद्रिक मान	वसूल की गयी राशि
2008-09	3	22.75	1	13.33	0.64
2009-10	3	11.26	3	11.26	0.47
2010-11	6	24.26	1	14.65	5.98
2011-12	1	146.31	1	139.70	0.99
2012-13	4	35.57	3	34.20	9.85
2013-14	4	35.78	3	17.21	9.48
2014-15	7	367.20	1	325.24	325.24

2008-09 से 2013-14 के दौरान स्वीकृत मामलों के विरूद्ध की गई वसूली 0.71 एवं 55 प्रतिशत के बीच रही। 2014-15 के दौरान इंगित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध 100 प्रतिशत की वसूली कर विभाग ने सराहनीय प्रयास किया।

स्वीकृत मामलों में वसूली अनुसरण की जानी चाहिए चूंकि संबंधित पक्षों से बकाए वसूलनीय हैं। विभाग/सरकार के द्वारा स्वीकृत मामलों के अनुसरण हेतु कोई तंत्र की संस्थापना नहीं की गयी थी।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के प्रयास एवं अनुश्रवण हेतु त्वरित कार्रवाई कर सकती है। राज्य के राजस्व की रक्षा के लिये गंभीर प्रयास करने हेतु स्वीकृत मामलों में लंबित वसूली के मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विनिहित किया जा सकता है।

1.8 वित्त वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अवलोकनों की पूर्व प्रवृत्तियां और अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राजस्व प्राप्ति एवं कर प्रशासन के विवेचनात्मक मुद्दे, यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पाँच वर्षों के राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है। वर्ष 2015-16 के दौरान, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 548 लेखापरीक्षा इकाइयाँ शामिल थी जिनमें से 131 इकाइयों को लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी एवं 123 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। विवरण **तालिका-1.15** में वर्णित है।

तालिका-1.15

लेखापरीक्षा योजना एवं कार्यान्वयन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	इकाइयाँ जिनके लिये लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	44	27	27
2	वाहनों पर कर	27	19	19
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	56	20	20
4	राज्य उत्पाद	23	16	16
5	भू-राजस्व	341	30	23
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	51	18	17
7	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	5	1	1
8	झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	0	0
कुल		**548**	**131**	**123**[4]

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त **"झारखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन"** के एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षाएँ **"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क/के.बि.क के लेन-देन की तिर्यक-जांच की व्यवस्था का कार्यान्वयन"** तथा **"झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाए राजस्व की संग्रहण की प्रणाली"** इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए लिये गये।

[4] आठ इकाइयों की कमी(एक द्विवार्षिक एवं सात त्रैवार्षिक) पंचायत चुनाव के कारण रही

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री,व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियाँ के 123 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 45,954 मामलों में 12,737.35 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि उद्घटित हुआ। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने हमारे द्वारा इंगित 40,355 मामलों में ₹ 12,120.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 40,265 मामलों में सन्निहित ₹ 11,774.37 करोड़ वर्ष 2015-16 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया। विभागों ने 2015-16 में 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ वसूल किया।

1.10 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 11,676.35 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 32 कंडिकाएँ उपर संदर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, से चयनित एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा **"झारखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन"** एवं दो लेखापरीक्षाएँ **"वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क/के.बि.क के लेन-देन की तिर्यक-जांच की व्यवस्था का कार्यान्वयन"** तथा **"झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाए राजस्व की संग्रहण की प्रणाली"** हैं जिसमें से ₹ 10,282.30 करोड़ वसूलनीय हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 11,672.52 करोड़ के परिहार्य क्षति सहित ₹ 1,394.05 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 13.55 करोड़ वसूल किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय II से VI में की गयी है।